महत्वपूर्ण/विशेषध्यान अपेक्षित

प्रेषक,

सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश,इलाहाबाद।

सेवा में,

समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक(नाम से)
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः मा0शि0प0/परिषद–9/ 33 दिनांक 11 अप्रैल,2016

विषयः कक्षा 8 एवं 10 उत्तीर्ण करने के पश्चात् आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र धारकों को उच्च शिक्षा का अवसर प्रदान किये जाने के उद्देश्य से वर्ष–2017 की हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट **परीक्षा में विनियमों के अन्तर्गत मात्र हिन्दी विषय से परीक्षा में व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय/महोदया,

ज्ञातव्य है कि उपर्युक्त विषयक प्रकरण पर शासन ने अपने पत्र संख्याः 385/15–7–2016–1 (02)/2013 दिनांक 15 मार्च 2016 द्वारा यह निर्णय लिया है कि कक्षा–8 एवं 10 उत्तीर्ण करने के पश्चात् आई0टी0आई0 द्वारा संचालित डिप्लोमा प्रमाण पत्र धारक यदि परिषद द्वारा संचालित हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षा मात्र एक विषय हिन्दी से उत्तीर्ण कर लेते है तो इन्हें हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट के समकक्ष मान लिया जायेगा।

उक्त के क्रम में सूच्य है कि निम्नांकित श्रेणी के आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र धारक वर्ष–2017 की हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षा मे विनियमों के अन्तर्गत निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा कर व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में हिन्दी विषय की परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्ह है। ऐसे परीक्षार्थियों को कक्षा 9एवं 11 उत्तीर्ण होना आवश्यक नहीं होगा। साथ ही इन्हें पत्राचार की अनिवार्यता से भी मुक्ति रहेगी।

हाईस्कूल परीक्षा

1	चयनित विषय	हिन्दी अथवा प्रारम्भिक हिन्दी
2	सम्मिलित होने की अर्हता	कक्षा–8 की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से 02 वर्षीय या उससे अधिक अवधि का औद्योगिक प्रशिक्षण पूर्ण कर राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एन0सी0वी0टी0) द्वारा जारी राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण–पत्र (एन0टी0सी0) अथवा राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश (एस0सी0वी0टी0) द्वारा जारी राज्य स्तरीय प्रमाण–पत्र।

इण्टरमीडिएट परीक्षा

1	चयनित विषय	हिन्दी अथवा सामान्य हिन्दी
2	सम्मिलित होने की अर्हता	माध्यमिक शिक्षा परिषद की कक्षा–10 की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से 02 वर्षीय या उससे अधिक अवधि का औद्योगिक प्रशिक्षण पूर्ण कर राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एन0सी0वी0टी0) द्वारा जारी राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण–पत्र (एन0टी0सी0) अथवा राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद उ0प्र0 (एस0सी0वी0टी0) द्वारा जारी राज्य स्तरीय प्रमाण–पत्र।

कृपया अपने जनपद के हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षा के व्यक्तिगत आवेदन पत्रों को अग्रसारित करने वाले समस्त अग्रसारण अधिकारियों को उपर्युक्त के क्रम में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु यथावांछित दिशा–निर्देश प्रदान करते हुये आवश्यक कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करायें।

इस ओर आपका व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।

भवदीय,

श्रीमती(शैल यादव)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याःपरिषद–9/ 33 (1-6) दिनांक 11-5- 2016

उपर्युक्त पत्र की प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1– श्री भुवनेश कुमार सचिव,व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास अनुभाग,उत्तर प्रदेश शासन,लखनऊ।

2– संयुक्त सचिव शिक्षा–7 अनुभाग उ0प्र0 शासन,लखनऊ।

3– शिक्षा निदेशक(मा0) एवं सभापति,मा0शि0प0,उ0प्र0 शिविर कार्यालय लखनऊ।

4– समस्त संयुक्त शिक्षा निदेशक,उत्तर प्रदेश।

5– क्षेत्रीय सचिव,मा0शि0प0,क्षेत्रीय कार्यालय,मेरठ,बरेली,वाराणसी तथा इलाहाबाद।

6– उप सचिव,सिस्टमसेल/समन्वय/केन्द्रीय यूनिट/केन्द्र स्थापना/गोपनीय अनुभाग,मा0शि0प0, मुख्यालय, इलाहाबाद।

11/05/16

श्रीमती(शैल यादव)
सचिव।

रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

इलाहाबाद, शनिवार, 19 मार्च, 2016 ई० (फाल्गुन 29, 1937 शक संवत्)

भाग 4

निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश

कार्यालय, सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

विज्ञप्ति

18 मार्च, 2016 ई0

सं0 परिषद्-9/1103—सर्वसाधारण की जानकारी हेतु विज्ञापित एवं प्रसारित है कि शासन ने अपने पत्र संख्या 385/15-7-2016-1(02)/2013, दिनांक 15 मार्च, 2016 द्वारा परिषद् विनियमों के अध्याय-बारह के विनियम-17(7) के क्रम 33 के बाद नवीन क्रम 34 एवं अध्याय-चौदह के विनियम-2 के क्रम 32 के बाद नवीन क्रम 33 को निम्नवत् जोड़े जाने की स्वीकृति इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 16 की उप धारा (2) के अन्तर्गत प्रदान कर दी है —

अध्याय-बारह

वर्तमान स्वरूप विनियम-17(7)	संशोधित स्वरूप विनियम—2
क्रम 01 से 33 तक।	क्रम 01 से 33 तक यथावत्। **क्रम—34** ऐसे छात्र/छात्रायें जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा परिषद् की कक्षा-10 की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से 02 वर्षीय या उससे अधिक अवधि का औद्योगिक प्रशिक्षण पूर्ण कर राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एन0सी0वी0टी0) द्वारा जारी राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र (एन0टी0सी0) अथवा राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद्, उ0प्र0 (एस0सी0वी0टी0) द्वारा जारी राज्य स्तरीय प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो, उन्हें माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित इण्टरमीडिएट (कक्षा-12) की परीक्षा के हिन्दी विषय की परीक्षा व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण करने की दशा में परिषद् की इण्टरमीडिएट (कक्षा-12) के समकक्ष माना जायेगा। **नोट**—आई0टी0आई0 के अतिरिक्त अन्य इण्टरमीडिएट (कक्षा-12) उत्तीर्ण परीक्षार्थी आई0टी0आई0 के समकक्ष नहीं माने जायेंगे।

अध्याय–चौदह

वर्तमान स्वरूप विनियम-2	संशोधित स्वरूप विनियम-2
क्रम 01 से 32 तक।	क्रम 01 से 32 तक यथावत्।
	क्रम–33 ऐसे छात्र/छात्रायें जिन्होंने कक्षा-8 की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त मान्यताप्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से 02 वर्षीय या उससे अधिक अवधि का औद्योगिक प्रशिक्षण पूर्ण कर राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एन0सी0वी0टी0) द्वारा जारी राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र (एन0टी0सी0) अथवा राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद्, उत्तर प्रदेश (एस0सी0वी0टी0) द्वारा जारी राज्य स्तरीय प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो, उन्हें माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित हाईस्कूल (कक्षा-10) की हिन्दी विषय की परीक्षा व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण करने की दशा में परिषद् की हाईस्कूल (कक्षा-10) के समकक्ष माना जायेगा। **नोट**–आई0टी0आई0 के अतिरिक्त अन्य हाईस्कूल (कक्षा-10) उत्तीर्ण परीक्षार्थी आई0टी0आई0 के समकक्ष नहीं माने जायेंगे।

श्रीमती शैल यादव,
सचिव।

पी0एस0यू0पी0–51 हिन्दी गजट–भाग 4–2016 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
पी0एस0यू0पी0–176 मा0शि0प0–19-03-2016–3,000 प्रतियां (मोनो/डी0टी0पी0/आफसेट)।